Ch. XVI

सदोष मानव वध तथा हत्या (धारा 299 से 377)

सामान्य : भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 16 संहिता का दीर्घतम अध्याय है। इसमें कुल 84 धाराएं हैं। अध्याय 16 में दंडनीय अपराधों को निम्नलिखित स्थूल वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. मानव जीवन के विरुद्ध अपराध (धाराएं 299 से 318 तक)
2. मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (धाराएं 319 से 377 तक)

सदोष मानव वध - (धारा 299, 301, 304, 308) हत्या तथा सदोष मानव वध दोनों अपराध हैं। हत्या को "ऐसा सदोष मानव वध जो हत्या के समतुल्य है।" भी कहा जाता है।

सदोष मानव वध को साधारण सदोष मानव वध, ऐसा सदोष मानव वध जो हत्या के समतुल्य नहीं है, भी कहा जाता है।

हत्या तथा साधारण सदोष मानव वध दोनों में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है। इस समानता के बावजूद दोनों अपराध स्वतः भिन्न हैं। दोनों अपराधों में मुख्यतः अपराधिकता की कोटि का भेद है।

इंगलैण्ड में साधारण सदोष मानव वध को MAN SLAUGHTER कहा जाता है। अमेरिका में हत्या तथा साधारण सदोष मानव वध को क्रमशः प्रथम कोटि की हत्या तथा द्वितीय कोटि की हत्या कहा जाता है।

संहिता की धारा २९९ साधारण सदोष मानव वध को परिभाषित करती है। हत्या का अपराध धारा 300 में परिभाषित है। सर जेम्स स्टीफन ने इन परिभाषाओं की कठोर आलोचना की है –

उनके अनुसार यह परिभाषायें ठीक से रची नहीं गयी है तथा ये संहिता का दुर्बलतम भाग है।

हत्या तथा साधारण सदोष मानव वध के मध्य विभेदक रेखा यद्यपि अति सूक्ष्म है तथापि इन्हें विभेदित किया जा सकता है। यदि किसी मामले में विभेदन वास्तव में कठिन प्रतीत होता तथा हत्या का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता तो सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा।

मानव वध शब्द (HOMOCIDE) लैटिन शब्द से उत्पन्न है। HOMO शब्द से तात्पर्य मानव से है तथा CIDE से तात्पर्य काटने से है।

बायर के अनुसार HOMOCIDE शब्द एक मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना या उसे त्वरित करने का अर्थ देता है।

सदोष मानव वध की परिभाषा – धारा २९९, संहिता की धारा 301 तथा 304 के साथ पठनीय है। धारा २९९ सदोष मानव वध को निम्नत परिभाषित करती है।

Intention
"जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो। (300 II III)
Knowledge
या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु (IV) कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। सदोष मानव वध करता है।"

धारा 299 के विश्लेषण से सदोष मानव वध की निम्नलिखित तीन कोटियाँ या प्रकार स्पष्ट होते हैं -

1. मृत्यु कारित करने के आशय से किये गये कृत्य से कारित मृत्यु प्रथम कोटि का सदोष मानव वध होगा और सदोष मानव वध अनिवार्यतः हत्या होगा।

2. ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो, कारित करने के आशय से किये गये कृत्य के परिणामस्वरूप कारित मृत्यु द्वितीय कोटि का सदोष मानव वध होगा और सदोष मानव वध तब हत्या होगा जबकि धारा 300 के द्वितीय व तृतीय खण्ड की अतिरिक्त अपेक्षायें भी सन्तुष्ट हो रही हैं।

→ 3

<u>सदोष मानव वध हत्या होगा</u> - सदोष मानव वध हत्या होगा यदि- 1. अभियुक्त का कृत्य धारा 299 की अपेक्षाओं को सन्तुष्ट करने के साथ-साथ धारा 300 के सभी खण्डों की अतिरिक्त अपेक्षाओं को सन्तुष्ट करता है। किन्तु धारा 300 किन्हीं अपवादों की अपेक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करता।

2. सदोष मानव वध हत्या होगा जबकि अभियुक्त का कृत्य तथा इससे कारित मृत्यु तथा अन्य विधिक अपेक्षायें प्रत्येक युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित हो जायें। सन्देह की स्थिति में लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा तथा उसका ~~कृत्य~~ कृत्य हत्या के बजाय ऐसा सदोष मानव वध होगा जो हत्या के समतुल्य नहीं।

3. ऐसे कृत्य से कारित मृत्यु जो आशय विहीन रहा हो किन्तु जो इस ज्ञान से किया गया हो कि इससे मृत्यु सम्भाव्य है, तृतीय कोटि का सदोष मानव वध होगा। यह तब हत्या होगा जबकि धारा 300 के चतुर्थ खण्ड की अपेक्षायें सन्तुष्ट हो रही हैं।

[illegible]

धारा 299 व 300 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित मामलों में सदोष मानव वध हत्या होगा।

1. जबकि अभियुक्त द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से कृत्य किया गया हो तथा उस कृत्य के परिणामस्वरूप किसी मानव की मृत्यु कारित हो गयी हो। बशर्ते है कि अभियुक्त का मामला धारा 300 के किसी अपवाद की परिधि में न हो।। अतः मृत्यु कारित करने के आशय से किये कार्य से फलित मृत्यु सदैव हत्या है।

2. जबकि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य इस आशय से हो कि उससे ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु सम्भाव्य हो तथा ऐसे कृत्य से फलित मृत्यु के मामले में धारा 300 के खंड 2 व 3 की अतिरिक्त अपेक्षायें सन्तुष्ट हो रही है अर्थात्

300 के खंड II — A. अभियुक्त द्वारा कारित (1) शारीरिक क्षति साशय हो और अपराधी को इस बात का (2) ज्ञान रहा हो कि सम्बन्धित व्यक्ति की (3) मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो, या।

IMP — 300 का खंड III — B अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य ऐसी शारीरिक क्षति जो (1) प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है, कारित की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य साशय न हो किन्तु इस ज्ञान से हो कि उससे मृत्यु सम्भाव्य है तो कृत्य से फलित मृत्यु सदोष मानव वध होगी।